न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–126/11

1. सीताराम पुत्र फूलचन्द कण्डेरा, निवासी चन्दबाजी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 20/11/17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर के आदेश दिनांक 04.04.2011 (प्रकरण संख्या 27/2010) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील एवं अपनी लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में अतिरिक्त कलक्टर, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.05.1999 जिसमें अतिरिक्त कलक्टर द्वारा तहसीलदार आमेर को राज्य सरकार की विज्ञप्तियों के अनुसार भूमि को नियमन की कार्यवाही करने को कहा था तथा अपीलान्ट के बार–बार प्रार्थना पत्र देने पर भी अतिरिक्त जिला कलक्टर के आदेश की कोई पालना नही की गई तथा कोई टिप्पणी नही कर जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि मानकर अपीलार्थी की अपील विधि विरूद्ध तौर पर अपीलाधीन निर्णय से निरस्त की गई है, जो निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 08.01.1999 को तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट के खिलाफ अपीलान्ट के कब्जे को बेदखल व शास्ती के दण्डित किया गया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने न्यायालय अपर जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के यहॉ मुकदमा नम्बर 30/1999 उनवानी सीताराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपील का परीक्षण करने के उपरान्त अपीलार्थी का पुराना कब्जा को ध्यान में रखते हुए राजकीय परिपत्र एवं नियमों के तहत कार्यवाही हेतु गुणावगुण पर आदेश दिनांक 03.05.1999 पारित किया जिस तहसीलदार आमेर के यहॉ प्रार्थना पत्र रिमाण्ड पत्रावली पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया लेकिन तहसीलदार द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नही की इसके पश्चात् अपीलान्ट द्वारा वर्ष 2003 में एक ओर प्रार्थना पत्र तहसीलदार आमेर के यहॉ प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि अपर जिला कलक्टर द्वितीय के यहॉ अपील संख्या 30/1999 व 31/1999 की पत्रावली पर न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही करें एवं उक्त आदेश की पालना करने की कृपा करें लेकिन तहसीलदार आमेर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

गई। उन्हाने आगे कथन किया है कि दिनांक 08.10.2009 को तहसीलदार आमेर द्वारा अपीलान्ट के कब्जे की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 55 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम इन्द्राज करने का अदेश पारित कर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम इन्द्राज कर दिया जबकि वास्तविकता में उक्त समय कब्जा अपीलार्थी का ही था जो कि तहसीलदार आमेर द्वारा उक्त विधि के अनुसार नही की गई एवं भारी कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने तहसीलदार आमेर का आदेश दिनांक 08.10.2009 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर के यहॉ अपील प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध खारिज की है क्योंकि अपीलान्ट का वास्तव में पूर्व से ही कब्जा है जबकि तहसीलदार आमरे द्वारा लगभग 10 वर्षो तक अपीलान्ट का मामला नियमन योग्य नही होने पर भी उन्होने ने कोई कार्यवाही नही की जबकि नियमन के अन्तर्गत अपीलार्थी खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुका था चूँकि गत खसरा नम्बर 7/1 से ही जिनका खसरा नम्बर 3 व 4 बनाया गया, उक्त पर अपीलान्ट का कब्जा सम्वत 2031 से 2055 तक निरन्तर माना जावेया, राज्य सरकार की विज्ञप्तियों के आधार पर एफ 3 48 आरडब्लू 60 दिनांक 09.03.1960 तथा पश्चात् सभी परिपत्रों में अपीलान्ट जो भूमिहीन कृषक है तथा उसका भूमि पर पुराना कब्जा है उसे नियमन कराने का अधिकारी माना है, आवंटन नियम 1970 के नियम 20 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी अतिक्रमी का कब्जा राज्य सरकार विज्ञप्तियों के अनुसार है तो उसे बेदखल करने के बजाय उपखण्ड अधिकारी उस अतिक्रमण को नियमित कर देगा इस आधार पर भी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी का नियमन कराने का अधिकारी है। उन्होने कथन किया है कि अपीलार्थी सम्वत 2031 से लेकर निरन्तर उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है, उक्त भूमि के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय द्वारा नियमन बाबत तहसीलदार आमेर को पत्रावली को रिमाण्ड भी कर दिया उक्त समय राज्य आदेशों के अन्तर्गत ही मामला लेकर अपीलान्ट की भूमि को नियमन की सिफारिश कर नियमन की प्रक्रिया के अनुसार नियमित हो सकती थी जिसको तहसीलदार आमेर द्वारा तहकरीबन 10 वर्षो तक कोई कार्यवाही न करके भारी भूल की है और जयपुर विकास प्राधिकरण में उक्त भूमि का नामान्तरकरण अंकित कर दिया जो सरासर अनुचित था चूँकि राज्य आदेशों के अनुसार अपीलान्ट का मामला नियमन योग्य था इस आधार पर अपीलान्ट को नियमन के समस्त अधिकार प्राप्त हो गये जिन्हे समाप्त नही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के विवादित भूमि को नियमन कराने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के निर्णय दिनांक 03.05.1999 के तहत यदि प्रकरण अपीलान्ट के हक मे नियमन योग्य होता तो अब तक नियमन किया जा चुका होता चूँकि भूमि जयपुर रीजन में

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आने व राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज की गई है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है जो जिला कलक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक 6398 दिनांक 22.07.09 की अनुपालना में वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 08.10.09 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम तहसीलदार आमेर द्वारा स्वीकार किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष कोई भी ऐसा साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी का अपीलान्ट को आवंटन/नियमन किया गया हो ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई लोकस स्टेण्डाई प्रतीत नही होता है तथा अपीलान्ट की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2011 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 20/11/17 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।